INS
THE INDIAN NEWSPAPER SOCIETY
Member
The Indian Newspaper Society

वर्ष II अंक 4
फरवरी 2017
कुल पृष्ठ संख्या : 132
(आवरण सहित)
मूल्य ₹50

संपादक
डॉ. संजय
कार्यकारी संपादक
डॉ. पवन कुमार
सहायक संपादक
जावेद आर सिद्दीकी
अनुसंधान टीम
एम टायरा
नागेन्द्र कुमार सिन्हा
के कुन्दन
नरेन्द्र कुमार
राजीव कुमार सिंह
रवि रंजन
आशुतोष महाराज
उमाकांत शुक्ला
सलाहकार संपादक
चेतनानंद सिंह
ग्राफिक्स, लेजर टाइपसेटिंग एवं आवरण सज्जा
अभ्यानन्द सिन्हा, प्रमोद झा, पंकज नारंग

बीएससी पब्लिशिंग कं. प्रा. लि.
के लिए प्रकाशक और मुद्रक
मनोज कुमार द्वारा
एल.बी. इंटरप्राइजेज,
जी-24, गांव-गागीपुर,
दिल्ली-110096 से मुद्रित व
सी-37, गणेश नगर,
पांडव नगर कॉम्पलेक्स,
दिल्ली-110092 से प्रकाशित
संपादक : **डॉ. संजय**

दो शब्द.....

सफलता के लिए सतत अभ्यास के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। व्यापार, कला, खेल व शिक्षा आदि कोई भी क्षेत्र हो, सफलता का कोई सरल विधान नहीं है। अभ्यास ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान बहुत ही बड़ी वस्तु है और सफलता का आधार भी है लेकिन ज्ञान को कार्य रूप में बदलने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है।

अभ्यास व्यक्ति के लिए व्यायाम की तरह है जो शारीरिक और मानसिक संस्थाओं को आवश्यक आव त्ति के साथ एक रास्ते पर लाता है और धीरे-धीरे लेकिन निश्चितता के साथ पूर्णता की ओर ले जाता है। नियमित आधार पर किसी भी चीज का अभ्यास व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बना सकता है। अभ्यास किसी भी कार्य को करने में गुणवत्ता लाने के साथ ही एक व्यक्ति को अन्य गुणों के लिए भी तैयार करता है। अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें अपने जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए।

पूर्णता प्राप्त करने के लिए अभ्यास सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक अभ्यास करता है, वह उतना ही अधिक दोषरहित और आत्मविश्वासी बनता है। अभ्यास के माध्यम से हम पहले की गई गलती को दुबारा नहीं करते और नई चीजों को सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति अभ्यास की आदत को किसी भी आयु में विकसित कर सकता है।

कठिन परिश्रम, धैर्य, विश्वास, द ढ़ इच्छाशक्ति, सहनशीलता, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, लगन और समर्पण मिलकर अभ्यास की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करते हैं।

अभ्यास के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और दुर्गम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह हमें सही दिशा में जाने और चुनौतियों का सामना करके जीतने की क्षमता प्रदान करने के लिए तैयार करता है। अभ्यास नियमित गतिविधि है, जो मजबूती के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इस नए साल में नए लक्ष्य, नई आशा, नए उत्साह, नई ऊर्जा और नए आवेग के साथ आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हों ऐसी हमारी कामना है। नया साल आपके लिए सुन्दर, सुखद व सुफल हो। शुभकामनाएं।

प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना पत्रिका के किसी भी भाग का पुनःप्रकाशन नहीं किया जा सकता है।

इस अंक में ...

कैशलेस भारत की पहल
साक्षरता व सुरक्षा की समस्या
4

सामयिक मुद्दे
5

मैच पॉइंट
7

समसामयिकी
9

प्रिवियस पेपर
आर.आर.बी. सहायक (पीटी)
29

प्रिवियस पेपर
आर.आर.बी. ऑफिसर स्केल-I (पीटी)
37

प्रैक्टिस सेट
आर.बी.आई. सहायक (मुख्य)
46

प्रैक्टिस सेट
आईडीबीआई बैंक पीजीडीबीएफ (मुख्य)
61

प्रैक्टिस सेट
सिंडिकेट बैंक पीजीडीबीएफ (मुख्य)
90

प्रैक्टिस सेट
एसएससी (10+2 लेवल)
112

BSC Courses के लिए हमारी वेबसाइट पर संपर्क करें
www.bscacademy.com, www.bsccareer.com
आप ई-मेल कर सकते हैं : ***bscacademy@gmail.com, bscpublication@gmail.com***
फोन : ***011-22484910, 011-22484911, 011-22484912, 011-22484913***

राष्ट्रीय

केंद्र

दिव्यांगजनों का अधिकार विधेयक

दिव्यांगजनों का अधिकार विधेयक को 16 दिसम्बर 2016 को लोकसभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। यह अधिनियम 1995 के विकलांग लोगों के अधिनियम का स्थान लेगा। इस नए विधेयक के तहत दिव्यांगों की कुल **21 श्रेणियों** को मान्यता प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि 1995 के विकलांग लोगों के अधिनियम के तहत विकलांगों की कुल 7 श्रेणियों को मान्यता प्रदान की गई थी। इस विधेयक में केन्द्र सरकार को और श्रेणी के दिव्यांगों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। विदित हो कि देश की आबादी के 2.2 प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं।

संबंधित तथ्य

- बोलने में असमर्थ तथा समझने की विशिष्ट समस्या को पहली बार दिव्यांगों की श्रेणी में रखा गया है।
- तेजाब हमलों के शिकार लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- बौनापन, मसक्युलर डिस्ट्रॉफी को अलग श्रेणी की विकलांगता में शामिल किया गया है।
- तीन रक्त व्याधियों थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग को विकलांगता की परिधि में लाया गया है।
- दिव्यांगों को तमाम लाभ जैसे उच्च शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण, भूमि आबंटन तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षण आदि प्रदान किए जाने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।
- इसमें दिव्यांगों से भेदभाव किए जाने पर छह महीने से लेकर दो साल तक की कैद और अधिकतम पांच लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
- विधेयक में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था तीन से बढ़ाकर **चार प्रतिशत** कर दी गई है।

शत्रु संपत्ति पर अध्यादेश

आजादी के बाद हुए **विभाजन या युद्धों के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों की संपत्ति पर उत्तराधिकार या संपत्ति हस्तांतरण के दावों की रक्षा के लिए** करीब 50 वर्ष पुराने एक कानून में संशोधन के संबंध में अध्यादेश को फिर से लागू कर दिया गया है। इस विषय पर अब तक कुल पांच बार अध्यादेश लाया जा चुका है।

गौरतलब है कि संविधान के **अनुच्छेद 123** के तहत अध्यादेश केवल उन परिस्थितियों में लाया जा सकता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि किसी विषय पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह उस विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। वस्तुतः कोई भी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के दिन से छः सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है यदि संसद द्वारा इस संबंध में कोई विधेयक पारित न कर दिया गया हो।

शत्रु संपत्ति अधिनियम

शत्रु संपत्ति अधिनियम भारत सरकार द्वारा **1968** में लाया गया था। यह कानून सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि ऐसे लोग जो देश विभाजन के समय या फिर 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के बाद चीन या पाकिस्तान जाकर बस गए हों और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली हो, सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर ले और ऐसी संपत्ति के लिए अभिरक्षक या संरक्षक नियुक्त करे।

पासपोर्ट नियमों में बदलाव

23 दिसंबर 2016 को विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में कुछ बदलावों की घोषणा की है। इससे अनाथ बच्चों, साधुओं, अकेली रह रही माताओं, अलग-अलग रह रहे दंपत्तियों तथा परित्यक्त पत्नियों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना आसान होगा।

प्रमुख बदलाव

- आवेदन फॉर्म में आवेदकों के लिए तलाक या अलगाव की स्थिति में अपने पति या पत्नी का नाम लिखना आवश्यक नहीं होगा। विवाहित आवेदक के लिए भी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित कोई विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने में किसी बच्चे के माता या पिता अथवा किसी भी वैधानिक अभिभावक का नाम उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। कोई भी 'एकल अभिभावक' अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट जारी करवाने हेतु आवेदन कर सकता है।
- जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
- साधु-संन्यासी अभिभावक वाले कॉलम में अपने आध्यात्मिक गुरुओं का नाम लिखकर आवेदन कर सकते हैं।

चार धाम महामार्ग विकास परियोजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को **देहरादून** में महत्वाकांक्षी 'चार धाम महामार्ग विकास परियोजना' की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य चार धाम तीर्थयात्रा केन्द्रों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार लाना है ताकि इन केंद्रों तक यात्रा सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक हो सके। चार धाम परियोजना के तहत उत्तराखंड में कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से 900 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाना है। इससे संबंधित कुल

शीघ्र सब्सक्राइब करें! "बैंकिंग सर्विसेज़ क्रॉनिकल"

कृपया इस कूपन को काटकर अपने भुगतान के साथ हमें मेल करें।

हाँ! मुझे मेरा "बैंकिंग सर्विसेज़ क्रॉनिकल" भेजें

16.5% छूट के साथ 3 महीनों के लिए अर्थात् ₹125/- ☐ 25% छूट के साथ 6 महीनों के लिए अर्थात् ₹225/- ☐

30% छूट के साथ 1 वर्ष के लिए अर्थात् ₹420/- ☐

नाम : ..... **आयु :** .....

पता : .....

.....

.....

राज्य : ..... **पिन :** .....

मोबाइल नं. : ..... **ई-मेल :** .....

नोट : *यह आवश्यक है कि आप अपना मोबाइल नं. या ई-मेल (कम से कम दो में से कोई एक) हमें दें। इसके उपरांत ही सब्सक्रिप्शन के लिए आपके अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा।*

सब्सक्रिप्शन दर (प्रति वर्ष 12 अंक) NEWS STAND @ ₹50/-

समयावधि	**तीन माह**	**छः माह**	**एक वर्ष**
News stand	₹150.00	₹300.00	₹600.00
आपको भुगतान करना है	₹125.00	₹225.00	₹420.00

मैं "**BSC Publishing Co. Pvt. Ltd.**" payable at **Delhi** के पक्ष में डिमांड/मनीऑडर नं. .....दिनांक.....राशि ₹..... बैंक का नाम ..... संलग्न कर रहा/रही हूं।

इसे सब्सक्रिप्शन मैनेजर, **BSC PUBLISHING CO. PVT. LTD.,** सी-37, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली–110092 के पास भेजें। सब्सक्रिप्शन प्रारंभ करने के लिए क पया हमें 4-6 सप्ताह का समय दें। पत्रिका प्रतिमाह साधारण डाक से आपको भेजी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए हमें **bscpublication@gmail.com** पर ई-मेल करें।